



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 448 राँची, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर, 2022

संख्या-08/निकाय/11/2020 न.वि.आ./3050--नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-998 दिनांक-16.03.2022 से श्री दीपक कुमार लोहरा, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-38, राँची नगर निगम को पार्षद पद हेतु अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त की गयी थी। उक्त के विरुद्ध श्री दीपक कुमार लोहरा द्वारा अपील आवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 5.1 के आलोक में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध संसूचित अयोग्यता के विरुद्ध अपील पर सुनवाई एवं अंतिम निर्णय हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-2556 दिनांक-16.10.2020 द्वारा श्री मिथिलेश ठाकुर, माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को अधिसूचित किया गया है।

अपीलीय प्राधिकार श्री मिथिलेश ठाकुर, माननीय मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 5.1 के आलोक में अपीलवाद संख्या-03/2022 पर सुनवाई कर अपीलकर्ता, श्री दीपक कुमार लोहरा के अपील आवेदन को स्वीकार (Allow) करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-998 दिनांक-16.03.2022 को निरस्त कर दिया गया है।

अतएव नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-998 दिनांक-16.03.2022 को रद्द करते हुए श्री दीपक कुमार लोहरा, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-38, राँची नगर निगम की सदस्यता पूर्ववत बहाल की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।
